राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

::परिपत्र::

क्रमांक :०७/पी.आई./2024 दिनांक : ११-११-२०२४

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र 04/P.I./2024 दिनांकित 15.04.2024 द्वारा प्रकरणों को सूचीबद्ध करने के सम्बन्ध में लिस्टिंग पॉलिसी जारी की गई है जिसमें सबसे पुराने 50 प्रकरणों को दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक रूप से कॉजलिस्ट में सूचीबद्ध करने के नीतिगत निर्देश जारी किए गए हैं।

अतः उक्त परिपत्र 04/P.I./2024 दिनांकित 15.04.2024 में unready cases के संदर्भ में आंशिक शिथिलता देते हुए समस्त अधीनस्थ न्यायालयों को स्पष्टीकरण जारी किया जाता है कि समस्त पीठासीन अधिकारी ऐसे प्रकरणों, जिनमें उच्चतर न्यायालयों से स्थगन जारी है अथवा जो रिकॉर्ड के इंतजार में लम्बित हैं, अथवा अभियुक्त की जमानत जब्त होने से तलबी में लम्बित हैं उन्हें दैनिक या साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से सूचीबद्ध न कर महीने में किसी एक दिन, यथासंभव महीने के आरंभिक सप्ताह में सूचीबद्ध करना सुनिश्चित करें। तथा ऐसे प्रकरणों को अपवर्जित (exclude) करने के बाद सबसे पुराने 50 प्रकरणों (ready cases) को परिपत्र 04/पी.आई./2024 दिनांक 15.04.2024 के अनुसार सूचीबद्ध करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

११/११/२४

रजिस्ट्रार जनरल

क्रमांक :Gen./XV/52/2024/ १७७६ दिनांक : ११-११-२०२४

प्रतिलिपि निम्नांकित को अग्रेषित की जाती है-

1. समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारियों (विशिष्ट न्यायालयों सहित) के मध्य प्रसारित करावें।
2. रजिस्ट्रार मय सी.पी.सी, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
3. रजिस्ट्रार (वर्गीकरण–II), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर।
5. सामान्य अनुभाग, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

११/११/२४

रजिस्ट्रार जनरल